निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशा-निर्देश

आरईसी लिमिटेड

(सीआईएन: L40101DL1969GOI005095)

निगमित सुशासन पर आंतरिक दिशा-निर्देश

आरईसी लिमिटेड (आरईसी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक सरकारी कंपनी है। आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरईसी के इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, प्रधान निदेश-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने ***कॉरपोरेट गवर्नेंस पर इन आंतरिक दिशानिर्देशों को*** तैयार किया है।

निगमित सुशासन संबंधी दर्शन

आरईसी में निगमित सुशासन विद्यमान विनियामक ढांचे के भीतर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए नैतिक और जिम्मेदार तरीके से व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी, पूरे विश्व में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास करती है। कंपनी में उचित, पारदर्शी और नैतिक अभिशासन परिपाटियों की एक अतिप्रभावी परम्परा मौजूद है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सततता और समुचित एवं समयबद्ध प्रकटीकरण आदि के मूलभूत सिद्धांत कंपनी की कॉर्पोरेट अभिशासन की धारणा को पूर्ण रूप से लागू करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है:

- विधि, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणाली और परिपाटियां; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करना।

उपरोक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;
- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्य बातों के लिए उच्चतम स्तर का अनुकरणीय कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

सुशासन संरचना

आरईसी में सुशासन संरचना में विभिन्न समितियों द्वारा समर्थित निदेशक मंडल शामिल है, जो सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करेगा। इसके अलावा, शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों को समय-समय पर लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार और सचिवीय मानकों के अनुरूप, सामान्य बैठक में / डाक मतपत्र के माध्यम से ले जाया जाएगा।

निदेशक मंडल कंपनी के कारोबार और संचालन को रणनीति – संबंधी दृष्टि और दिशा प्रदान करेगा और कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति की निगरानी करेगा। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आरईसी कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों के अनुपालन में है। परिचालन की समीक्षा करने और कारोबारिक निर्णय लेने के लिए बोर्ड जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगा।

बोर्ड को निम्नलिखित समितियों का सहयोग प्राप्त है:-

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. कॉर्पोरेट सामाजिक रदायित्व समिति
6. अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति
7. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन क समिति
8. आईटी कार्यनीति समिति

सभी समितियों के संदर्भ की शर्तें बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित/संशोधित की जाएंगी, जो वेबसाइट और / या कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध होंगी। समितियों की बैठक जितनी बार आवश्यक हो या विधि के अंतर्गत निर्धारित की जाएगी। विभिन्न समितियों के कोरम, सचिव, आमंत्रितों आदि का निर्धारण बोर्ड द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। इसके अलावा, सभी समितियों के कार्यवृत्त बोर्ड की आगामी बैठकों में रखे जाएंगे।

पूर्वोक्त समितियों के अलावा, बोर्ड समय-समय पर विशिष्ट परिचालन मामलों को देखने के लिए निदेशकों / वरिष्ठ अधिकारियों की अतिरिक्त समितियों का गठन कर सकता है।

आचार संहिता

कंपनी के पास "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता" है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों पर लागू होती है। संहिता कंपनी के मिशन/दृष्टिकोण और उद्देश्यों के अनुरूप है, और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर उक्त संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे।

सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है, आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में चिंता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। जहां भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीति में आवश्यक प्रणाली शामिल है। इसके अलावा, कंपनी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी व्हिसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है।

अन्य नीतियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के वैधानिक प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देश और एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मानदंडों के अनुरूप, कंपनी ने कॉर्पोरेट सुशासन से संबंधित विभिन्न नीतियां तैयार की हैं, जिनमें धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति, नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को

विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और उचित प्रकटीकरण के लिए, संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता पर नीति और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने, भौतिकता पर नीति शामिल हैं लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, सहायक कंपनियों की, घटनाओं की भौतिकता के निर्धारण के लिए मानदंड पर नीति या स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए सूचना, उचित व्यवहार संहिता आदि, कुछ के नाम, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्रकटीकरण

कंपनी नियामकों, वैधानिक प्राधिकरणों, स्टॉक एक्सचेंजों, शेयरधारकों, अन्य सुरक्षा धारकों और आम जनता सहित अपने सभी हितधारकों के लिए कानून, कॉर्पोरेट वेबसाइट, वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्यक्ष संचार और संचार के माध्यम से पर्याप्त और समय पर प्रकटीकरण करने के लिए या मीडिया घोषणाएं आदि, समय-समय पर लागू वैधानिक प्रावधानों और कंपनी की प्रासंगिक नीतियों के अनुरूप स्पष्टीकरण देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुभाग पर रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा में कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों, पहलों और प्रयासों को सामने लाएगी।

लेखा परीक्षक

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & एजी) द्वारा की जाती है। इसके अलावा, कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए आवश्यकतानुसार लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कंपनी में समय-समय पर लागू वैधानिक प्रावधानों/आरबीआई मानदंडों के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षक भी नियुक्त होंगे।

अनुपालन अधिकारी

इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी होंगे।

समीक्षा

इन दिशा-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो, तो इसमें विनियामक परिवेश में परिवर्तन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित भी किया जा सकता है।

****